



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3491]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 25, 2019/कार्तिक 3, 1941

No. 3491]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 25, 2019/KARTIKA 3, 1941

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 2019

का.आ. 3858(अ).—मंत्रालय की प्रारूप अधिसूचना का.आ. 140(अ), दिनांक 13 जनवरी, 2016 के अधिक्रमण में, अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए, प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने का इच्छुक है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

### प्रारूप अधिसूचना

सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य (अभयारण्य के भीतर स्थित प्रसिद्ध सोमेश्वर मंदिर के अधिष्ठाता भगवान सोमेश्वर के नाम पर नामकरण किया गया है) कर्नाटक राज्य के उदुपी जिले के कारकाला और कुंडापुर तालुकों और सिमोगा जिले के तीर्थहल्ली तालुका में उत्तरी अक्षांश 13° 29' और 13° 36' तथा 74° 50' और 75° 05' पूर्वी देशांतर के बीच 1979 में अधिसूचित 314.25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है;

और, वन्यजीव अभयारण्य की विशेषता 6000 मिमी से 8000 मिमी. तक की अधिकतम वर्षा है और इसे, 'दक्षिण भारत की चिरापूंजी' के नाम से जाना जाता है;

और, सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य की पहाड़ी ढाल में सदाबहार और अर्ध-सदाबहार वन प्रजातियाँ और पर्यावास के चारों ओर पादगिरि में मिश्रित नम पर्णपाती वन और समतल और विकृत वन का संभरण है;

और, सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य में उपलब्ध प्रमुख वनस्पतियाँ कैलोफिलम एपेटालम (होली होत्रे), सिनामोमम सल्फ्यूरेटम (दालचीनी), डायोस्पायरोस कैंडोलिना (कारी मारा), होपे कैनेरेन्सिस (मलाई हाइगा), होपिया परविफ्लोरा (किरल बोगी), होपिया पोंगा (डोड्डे बोगी), वांडा स्पथुलता (ऑर्किड), गार्सिनिया इंडिका (कोकम), हाइड्रोकार्बन पेटेन्ड्रा (चाल्मोग्रा येन्ने मारा, मिरोल्काई, सुरती), नीमा एटेनकट (रक्तमारा), आदि हैं;

और, सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य में प्रचुर जैव-विविधता है और प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (आई यू सी एन) के अनुसार, कुछ प्रजातियाँ जो गंभीर रूप से लुप्तप्राय, लुप्तप्राय, असुरक्षित, संकटापन्न की श्रेणी में आती हैं, वे सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य में पाई जाती हैं, जिनमें स्तनधारियों में पैंथेरा टिगरिस (बाघ), पैंथेरा पार्डस (सामान्य तेंदुआ), प्रियनैलुरुस रुबिनोसस (रस्टी चित्तीदार बिल्ली), विवर्वा सिवर्टिना (मालाबार कीबेट), मेलुरसस अर्सिनस (रीछ), एलेफस मैक्सिमस (एशियाई हाथी), बोस गोरस (गौर), करवस यूनिकोलर (सांभर), पेटिनोमिस यूसीकोपिलस (स्मॉल ट्रेवनकोर फ्लाइंग गिलहरी), रतुफा इंडिका (भारतीय विशालकाय गिलहरी), मनीस क्रसिकौडाटा (भारतीय पेंगोलिन), प्लैटैक्थोमिस लैसीयुरस (मालाबार स्पिनी डोरमाउस), लुद्रा लुद्रा (कॉमन औटर), एनोक्सी सीनेरिया, आदि शामिल हैं;

और, अभयारण्य में अभिलिखित प्रमुख पक्षी प्रजातियाँ एन्थ्राकोसेरोस कोरोनाटस (मालाबार पाइड हॉर्नबिल), बुसेरोस बाइकोर्निस (ग्रेट हॉर्नबिल), इचिथोफेगा इचिथायेटस (ग्रे हेडेड फिश ईगल), एनिहिगन मेलानोगास्टर (डार्टर), सिसोनिया एपिस्कोपस (वूली-नेकड स्टोर्क), फिसेडुला निगरोरुफा (ब्लैक एण्ड ऑरेंज फ्लाई कैचर), यूमियास अल्बिकाडाटा (नीलगिरी फ्लाई कैचर) हैं और सरीसृप जैसे इंडोटेस्टूडो फॉरेस्टेनी (कछुआ), जियोचेलोन एलिगेंस (भारतीय फ्लैप शेल कछुआ), क्रोकोडायल पेलुस्ट्रिस (मगरमच्छ), नाज़ा नाज़ा (स्पेक्ट्रम कोबरा), ओफ्रियोफैगस हन्नाह (किंग कोबरा), आदि हैं;

और, सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य कई उभयचरों का निवास स्थान एनसोनिया ओरनेट (मालाबार टोरेट टोड), बुफो बेडोमी (बेडोमी टोड), रामानेल्ला मोनटाना (जेरडोन नेरोव-मुथेड फ्रॉग ऑर मथेरन इंडियन फ्रॉग), इंडिराना लेइथी (लेइथ लेइपिंग फ्रॉग ऑर मथेरन इंडियन फ्रॉग), लिमोनेक्टेस लिमोक्रेयर्स (इंडियन क्रिकेट फ्रॉग), माइक्रोएक्सलस सैक्सीकोलस (मालाबार ट्रॉपिकल फ्रॉग), नक्विटवट्रेचस डेक्कनोसिस (डेक्कन नाइट फ्रॉग, डेक्कन रिकलड फ्रॉग), नक्विटवट्रेचस मेजर (मालाबार फ्रॉग), नक्विटवट्रेचस सैन्क्टी पैलस्ट्रिस (कूर्ग नाइट फ्रॉग ऑर सैकरेड स्वाइप रिकल फ्रॉग), राणा औरांटियाका (त्रिवेन्द्रम फ्रॉग, कॉमन बुड फ्रॉग), राणा टेम्पोरलिस (कांस्य फ्रॉग ऑर गुंथर गोल्डन-बैकड फ्रॉग), टोमोप्टेमा रूफेंसेंस (रूफसेंट बुरोविंग फ्रॉग), आदि हैं जबकि अभयारण्य में उपलब्ध तितलियों की प्रजातियाँ आइडिया मालवारिका (मालाबार ट्री निम्फ), आदि हैं;

और, सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के पश्चिमी घाट के समूह में उच्च जैव विविधता कई गंभीर रूप से लुप्तप्राय संकटापन्न प्रजातियों की घटना, क्षेत्र के लोगों की मूल्यवान पारिस्थितिकी सेवा और सौंदर्यपरक मूल्य (भू-दृश्य) मूल्यों के कारण इसे विश्व विरासत स्थल के रूप में दिनांक 1 जुलाई, 2012 को घोषित किया गया था;

और, सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहाँ गया है) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य के उदुपी और शिवमोगा जिलों में सोमेश्वर अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 7.80 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को सोमेश्वर अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 7.80 किलोमीटर की दूरी तक है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल

142.56 वर्ग किलोमीटर है (पारिस्थितिकी संवेदी जोन की शून्य सीमा मूकाम्बिका वन्यजीव अभयारण्य और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान के समीप उत्तरी भाग और सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के दक्षिणी भाग के कारण है)।

(2) सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध-I** के रूप में संलग्न है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य का मानचित्र **उपाबंध-II** के रूप में संलग्न है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध-III** के सारणी **क** और सारणी **ख** में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के अंतर्गत आने वाले आरक्षित वन और ग्रामों की सूची **उपाबंध-IV** के सारणी **क** और सारणी **ख** के रूप में संलग्न है।

**2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.-** (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना ऐसी रीति जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(3) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी संबंधी बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:-पर्यावरण;

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन और वन्यजीव;
- (iii) शहरी विकास;
- (iv) पर्यटन;
- (v) नगरपालिका;
- (vi) राजस्व;
- (vii) कृषि;
- (viii) कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;
- (ix) ग्रामीण विकास;
- (x) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- (xi) पंचायती राज; और
- (xii) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों का संवर्धन करेगी।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी। इस योजना के मानचित्र के साथ विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं का विवरण संलग्न होगा।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध, विनियमित क्रियाकलापों का पालन करेगी तथा स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा के लिए, पारिस्थितिकी अनुकूल विकास सुनिश्चित करेगी तथा संवर्धित करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना की सह-विस्तारी होगी।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कृत्यों को करने के लिए मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

**(1) भू उपयोग.-** (क) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:-

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, स्थानीय सुविधाएं तथा ग्रह वास; और
- (v) बढ़ावा दिए गए पैराग्राफ 4 में उल्लिखित क्रियाकलाप:

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनवनीकरण: तथा पर्यावासों और जैव-विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत-** आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा जल आवाह प्रबंधन योजना इस रीति से बनाई जाएगी कि उसमें आवाह क्षेत्रों में विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्बंधित किया गया हो।

(3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन सम्बंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो किसी होटल या रिजॉर्ट का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

तथापि, पारिस्थितिकी-पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुज्ञात होगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी शिक्षा और पारिस्थितिकी विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन सम्बंधी दिशानिर्देशों के अनुसार (समय समय पर यथा संशोधित) होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/रिसोर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।

(4) **प्राकृतिक विरासत-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण-** पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों को कार्यान्वित करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण-** पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सारण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण साधारणों मानकों के अन्तर्गत पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों जो भी अधिक कठोर हों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.**- ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा।
- (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;
- (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि. 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि. 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई-अपशिष्ट.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात.**- सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण.**- वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.**- (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण:** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

- (क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;
- (ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

**4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

**सारणी**

क्र. सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	टीका-टिप्पणी (3)
<b>क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप</b>		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और क्रशिंग इकाईयां।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और तोड़ने की इकाईयों को व्यक्तिगत उपभोग के लिए घरों के सन्ननिर्माण या मरम्मत के लिए और भूमि को खोदने या घरों या अन्य क्रियाकलापों के लिए देसी टाइल्स या ईंटों के निर्माण के प्रतिनिर्देश से स्थानीय निवासियों के वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं के सिवाए प्रतिषिद्ध किया जाएगा; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गोदाबर्मन थिरूमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में किया जायेगा।
2.	आरा मीलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
3.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगी: जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
4.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्त्रावों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
7.	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग विधि के अनुसार जारी

क्र. सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	टीका-टिप्पणी (3)
		रह सकेंगे। तथापि विद्यमान आरा मिलों के लाइसेंसों का नवीनीकरण उनकी समाप्ति अवधि पर नहीं किया जाएगा।
8.	पवन चक्कियां लगाना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
9.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
10.	ईट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
<b>ख. विनियमित क्रियाकलाप</b>		
11.	प्लास्टिक के बैगों का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
12.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों संबंधी लघु अस्थायी संरचनाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात होंगे, अन्यथा नहीं: परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, किसी भी नए वाणिज्यिक होटल एवं रिसोर्टों को ही अनुज्ञात किया जाएगा अन्यथा नहीं।
13.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी:  परंतु, स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी। परन्तु गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
14.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कोई कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी।
15.	सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
16.	विद्युत और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना और अन्य बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। (भूमिगत केबल बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
17.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।



क्र. सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	टीका-टिप्पणी (3)
18.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का सन्निर्माण।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किये जायेंगे।
19.	रात्रि में यानीय यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
20.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
21.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्त्राव का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्त्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्त्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
23.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
24.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकट में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
25.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
26.	वायु और यानिक प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
27.	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
28.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप करना जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
29.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ डेयरियों, दुग्ध उत्पादन जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
30.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किये जायेंगे।
31.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अनुसार विनियमित (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होगा।
32.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
33.	पारिस्थितिकी-पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
<b>ग. संबंधित क्रियाकलाप</b>		
34.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाना है।

क्र. सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	टीका-टिप्पणी (3)
	उपयोग ।	
39.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	बागवानी और वनौषधियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
41.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
42.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
43.	निम्नीकृत भूमि/वन/ वास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
44.	पर्यावरणीय जागरूकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

**5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन अधिसूचना की मानीटरी के लिए मानीटरी समिति.-** केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी प्रभावी के लिए मानीटरी समिति गठित करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

क्र. सं.	मानीटरी समिति का गठन	पद
(i)	प्रादेशिक आयुक्त, मैसूर	अध्यक्ष, पदेन;
(ii)	पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य;
(iii)	शहरी विकास विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य;
(iv)	कर्नाटक सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(v)	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(vi)	कार्यपालक इंजीनियर, कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य;
(vii)	उपायुक्त या उसका प्रतिनिधि, सिमोगा	सदस्य;
(viii)	उपायुक्त या उसका प्रतिनिधि, उडूपी	सदस्य;
(ix)	माननीय पार्षद तीर्थाहल्ली सभा क्षेत्र	सदस्य;
(x)	माननीय पार्षद कारकाला सभा क्षेत्र	सदस्य;
(xi)	माननीय पार्षद उडूपी सभा क्षेत्र	सदस्य;
(xii)	माननीय पार्षद कुंडापुर सभा क्षेत्र	सदस्य;*
(xiii)	माननीय पार्षद विन्दूर सभा क्षेत्र	सदस्य;*
(xiv)	उप वन परिरक्षक, कुद्रेमुख वन्यजीव प्रभाग	सदस्य-सचिव।

\* (इस शर्त के अधीन रहते हुए कि कर्नाटक राज्य सरकार अन्य बातों के साथ सुसंगत अनुमोदन, जिसके अंतर्गत कर्नाटक विधान सभा के सभापति की अनुज्ञा भी है, यदि अपेक्षित हो, अभिप्राप्त करेगी) ।

**6. विचारार्थ विषय.-** (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद मानीटरी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

- (3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में शामिल क्रियाकलापों इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उन्हें उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजा जाएगा।
- (4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में शामिल न किए गए परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलापों की वास्तविक स्थल- विशिष्ट दशाओं के आधार पर मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जाएगा।
- (5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा।
- (6) मानीटरी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले में आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध -V** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।
- (8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।
- 7.** इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।
- 8.** इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अधधीन होंगे।

[फा.सं. 25/143/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गडकोटी, वैज्ञानिक 'जी'


**उपाबंध-I****कर्नाटक राज्य के सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन**

<b>पूर्व:</b>	सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा रेखा वरही राज्य वन के साथ, हुम्मादागलु ग्राम के अंतर्गत कंचीकाला अब्बी के निकट से आरंभ होती है। यह पूर्व, इसके बाद उत्तर की ओर मुड़कर, इसके बाद दक्षिण की ओर मुड़ती है और इसके बाद आखिरकार वरही राज्य वन और मनीबैलु राज्य वन सीमाओं के साथ पश्चिम की ओर जाती है यह तोमबेट्टु रिज़र्व वन सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी पर पहुँचती है। इस बिंदु से, पारिस्थितिकी संवेदी जोन रेखा गुब्बिगा ग्राम में तोमबेट्टु रिज़र्व वन सीमा के समानान्तर रेखा के 1 किलोमीटर से होते हुए जाती है। यह मलगोद्दामाता से होते हुए उत्तर की ओर जाती है और मेलसुंका में वरही राज्य वन को छूती है। उसके बाद रेखा जुड़कर और अगुम्बे राज्य वन के समानान्तर रेखा के 1 किलोमीटर से होते हुए जाती है। यह निराथीटलु ग्राम, कोरागिंकोटे ग्राम, हरुली ग्राम, शिवाली ग्राम, दसानाकोडुगे ग्राम और होसुर ग्राम से होते हुए दक्षिण पूर्व मुड़कर उलथिगा ग्राम से होते हुए उत्तर पूर्व में जाती है। इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन रेखा अगुम्बे होले के निकट अगुम्बे राज्य वन के समानान्तर रेखा के 1 किलोमीटर को छूती है और पुनः दक्षिण में जाती है, रेखा इसके बाद अगुम्बे में अगुम्बे-श्रींगेरी सड़क के जंक्शन के निकट तल्लुर ग्राम से होते हुए पूर्व की ओर मुड़ती है। रेखा इसके बाद बलेहल्ली ग्राम से होते हुए पूर्व की ओर बलेहल्ली राज्य वन के समानान्तर रेखा के 1 किलोमीटर से होते हुए जाती है और उत्तरी कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा के साथ मिलती है।
---------------	---

<b>दक्षिण :</b>	पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा रेखा कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान की पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा के साथ पश्चिम में मुड़कर और नरसिम्हा पर्वत राज्य वन के उत्तरी टीप को छूती है। यह नरसिम्हा पर्वत राज्य वन सीमा के साथ दक्षिण पश्चिमी दिशा में जाती है, उत्तर पश्चिम में मुड़कर और पुनः यह दुर्गा पहुँचती है। रेखा सोमेश्वर रिज़र्व वन सीमा से मिलती है और पुनः उत्तर पश्चिम में जाती है। यह कपोली के निकट कपोली धारा प्रवाह को काटकर और पार करके जाती है, मुद्रादी ग्राम के बचाप्पु पहुँच कर उत्तर पश्चिम दिशा में पुनः जाती है और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान के पूर्वी पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा के साथ मिलती है।
<b>पश्चिम :</b>	पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा रेखा उत्तर की ओर जटकटमलाई रिज़र्व वन के समानान्तर रेखा के 1 किलोमीटर से होते हुए जाती है। यह इसके बाद बैबेट्टु व्यवस्था, हेबरी ग्राम में पश्चिम में मुड़कर और मथकलगुडु रिज़र्व वन के समानान्तर रेखा के 1 किलोमीटर से जुड़ती है। रेखा पुनः पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में जाती है और जोम्बलु कादु रिज़र्व वन के समानान्तर रेखा के 1 किलोमीटर से जुड़ती है। रेखा वोनिकल्लु के निकट उत्तर में मुड़कर और तेन्काहोला रिज़र्व वन के समानान्तर रेखा के 1 किलोमीटर से जुड़ती है। रेखा इसके बाद सीथानादी नदी को पार करके और कलतुर ग्राम, नलकुरु ग्राम और बेलवे ग्राम से होते हुए जाती है। रेखा पूर्व की ओर जुड़कर मुड़ती है और अरदी के निकट मविनाकुदलु रिज़र्व वन सीमा के समानान्तर रेखा के 1 किलोमीटर से होते हुए जाती है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा रेखा उत्तर पूर्व, इसके बाद उत्तर की ओर मुड़ती है और बलीमने रिज़र्व वन के समानान्तर रेखा के 1 किलोमीटर से जुड़ती है यह पुनः उत्तर की ओर समानान्तर रेखा में जाती है यह सुरीकुडलु रिज़र्व वन की सीमा को छूती है। यह पुनः सुरीकुडलु रिज़र्व वन सीमा के साथ जाती है, कलीन्जेडुडु में वरही नदी को पार करके जाती है और सुरालादवी रिज़र्व वन के साथ पश्चिम की ओर मुड़ती है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन रेखा सुरालादवी रिज़र्व वन उत्तर और पूर्व से होते हुए जाती है और सुरीकुडलु रिज़र्व वन सीमा से जुड़ती है। रेखा पुनः बिंदु तक जाती है यह मुकम्बिका वन्यजीव अभयारण्य की पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा से जुड़ती है।
<b>उत्तर :</b>	पारिस्थितिकी संवेदी जोन तोमबट्टु रिज़र्व वन की उत्तरी सीमा के साथ मिलती है और पुनः यह कंचीकाला अब्बी के निकट वरही राज्य वन की सीमा पहुँचती है और मुकम्बिका वन्यजीव अभयारण्य के पूर्वी पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा के साथ मिलती है।

उपाबंध-II

प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



## उपाबंध-III

सारणी क: सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के प्रमुख अवस्थानों के भू-निर्देशांक

मानचित्र आई डी	देशांतर			अक्षांश		
	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड
0	74	57	36.12	13	39	31.81
1	74	58	33.67	13	41	0.16
2	75	1	20.82	13	41	40.00
3	75	0	41.80	13	41	17.78
5	75	0	49.24	13	40	30.30
6	75	1	43.86	13	40	8.59
7	75	1	0.93	13	39	43.48
8	75	0	58.27	13	37	58.54
9	75	3	7.62	13	36	29.30
10	75	3	41.37	13	36	1.09
11	75	3	46.74	13	37	32.97
12	75	4	22.94	13	36	34.80
13	75	5	27.33	13	36	9.30
14	75	6	33.70	13	35	38.38
15	75	6	13.82	13	34	35.77
16	75	5	40.44	13	31	52.94
17	75	5	24.61	13	31	25.74
18	75	4	58.62	13	30	9.06
19	75	6	40.94	13	30	19.15
20	75	8	29.21	13	30	12.36
21	75	9	17.86	13	29	59.84
22	75	8	14.49	13	28	16.82
23	75	8	42.19	13	27	13.49
24	75	8	59.47	13	26	9.46
25	75	8	26.45	13	24	20.54
26	75	7	58.71	13	23	23.95
27	75	7	43.53	13	21	54.89
28	75	5	58.46	13	21	21.83
29	75	4	7.39	13	23	14.49
30	75	4	45.79	13	24	32.59
31	75	3	30.97	13	25	41.78
32	75	1	44.28	13	26	19.68
33	75	1	0.29	13	28	13.94
34	74	59	56.28	13	27	36.28
35	74	59	54.28	13	28	41.65
36	75	0	9.47	13	29	5.02
37	74	59	35.80	13	29	21.10
38	74	58	55.32	13	30	26.58

39	74	59	21.75	13	31	19.66
40	75	0	25.34	13	32	13.91
41	74	59	46.56	13	33	6.64
42	74	58	38.17	13	33	48.04
43	74	58	44.44	13	35	25.67
44	74	59	17.42	13	36	16.24
45	74	59	19.24	13	36	38.90
46	74	58	11.17	13	38	12.60
47	74	57	39.73	13	38	34.11
48	74	56	42.60	13	30	20.88
49	74	57	0.40	13	30	29.46
50	74	57	52.51	13	30	9.36
51	74	57	30.59	13	29	8.78
52	74	57	35.08	13	28	27.82
53	74	56	51.71	13	27	50.93
54	74	55	44.58	13	28	15.01
55	74	55	3.07	13	29	9.50
56	74	57	56.82	13	29	4.14
57	74	58	24.03	13	28	49.30
58	74	59	2.55	13	28	42.59
59	74	59	32.67	13	28	59.34
60	74	59	34.72	13	28	36.42
61	74	59	18.73	13	28	22.34
62	74	58	34.87	13	28	35.80
63	74	58	5.70	13	28	34.05

**सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रमुख अवस्थानों के भू-निर्देशांक**

मानचित्र आई डी	देशांतर			अक्षांश		
	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड
1	75	1	19.31	13	41	39.87
2	75	2	30.69	13	41	32.71
3	75	2	36.79	13	41	57.64
4	75	3	32.65	13	41	53.53
5	75	3	35.92	13	43	0.38
6	75	4	33.96	13	42	33.34
7	75	3	38.98	13	41	33.49
8	75	4	4.09	13	40	45.76
9	75	4	12.75	13	40	10.81
10	75	3	49.65	13	40	17.46
11	75	3	33.99	13	40	47.24
12	75	2	49.39	13	40	28.95
13	75	2	16.58	13	40	13.72
14	75	1	30.67	13	39	0.11
15	75	2	49.77	13	37	12.38
16	75	3	20.53	13	38	7.82

17	75	4	49.90	13	37	2.17
18	75	5	44.71	13	36	46.48
19	75	7	1.77	13	35	56.41
20	75	6	19.66	13	33	43.01
21	75	6	34.34	13	32	2.71
22	75	5	54.19	13	30	30.33
23	75	8	1.12	13	30	31.61
24	75	9	0.37	13	30	26.38
25	75	10	3.65	13	30	19.18
26	75	10	8.51	13	29	20.43
27	75	1	39.96	13	26	37.10
28	75	1	15.06	13	26	14.47
29	75	0	36.53	13	27	21.37
30	74	59	21.57	13	27	49.88
31	74	57	27.46	13	27	55.96
32	74	56	33.46	13	27	20.48
33	74	54	56.06	13	28	15.85
34	74	55	19.16	13	29	48.45
35	74	55	50.17	13	30	41.81
36	74	57	33.39	13	30	43.67
37	74	58	20.65	13	30	27.00
38	74	59	32.93	13	31	53.95
39	74	58	10.10	13	34	6.63
40	74	58	29.18	13	36	0.83
41	74	57	42.32	13	36	1.22
42	74	57	11.09	13	36	41.42
43	74	57	19.94	13	37	51.35
44	74	56	2.15	13	37	34.60
45	74	56	32.69	13	38	17.47
46	74	57	7.58	13	38	53.40
47	74	56	36.44	13	39	16.78
48	74	57	33.46	13	39	24.90

## उपाबंध-IV

क. भू-निर्देशांकों के साथ सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्राम के नाम	जिला	तालुका	क्षेत्र हेक्टेयर में	अक्षांश			देशांतर		
					डिग्री	मिनट	सेकेण्ड	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड
1	हुम्मादागल्लु	शिमोगा	होसानगरा	78.77	13	41	3.03	75	2	59.22
2	गुबिगा	शिमोगा	होसानगरा	100.60	13	39	34.71	75	2	0.15
3	उलथिगा	शिमोगा	होसानगरा	324.99	13	37	41.69	75	2	57.96
4	कोरगिनाकोटे	शिमोगा	होसानगरा	256.69	13	37	8.01	75	4	25.08
5	नीराथोटलु	शिमोगा	होसानगरा	41.71	13	37	47.61	75	4	11.78
6	हुरुली	शिमोगा	तिरथाहल्ली	200.11	13	36	39.09	75	5	47.08
7	शुन्तीहाक्कालु	शिमोगा	तिरथाहल्ली	110.58	13	36	27.24	75	5	25.12
8	शिवाल्ली	शिमोगा	तिरथाहल्ली	148.75	13	35	59.34	75	6	37.95
9	दसानाकोदिगे	शिमोगा	तिरथाहल्ली	176.95	13	35	10.53	75	6	42.88



10	होसुर	शिमोगा	तिरथाहल्ली	435.82	13	33	53.21	75	6	14.02
11	अगुम्बे	शिमोगा	तिरथाहल्ली	757.48	13	31	24.41	75	5	56.71
12	ताल्लुर	शिमोगा	तिरथाहल्ली	229.57	13	31	15.28	75	6	23.99
13	बलेहाल्ली	शिमोगा	तिरथाहल्ली	808.52	13	41	3.03	75	8	20.82
13ए	होसनबालु	चिकमागलुर	श्रींगेरी	83.62	13	29	45.99	75	10	2.96
14	मुदरादी	उदुपी	करकाल	18.26	13	26	28.52	75	1	22.16
15	हेबरी	उदुपी	करकाल	836.11	13	27	35.52	75	0	24.35
16	चारा	उदुपी	करकाल	949.13	13	28	20.78	74	57	32.63
17	कल्लुर	उदुपी	उदुपी	169.75	13	27	40.76	74	56	26.22
18	नल्लुर	उदुपी	उदुपी	425.02	13	28	37.91	74	55	8.67
19	बेलवे	उदुपी	कुन्दापुरा	342.37	13	30	2.30	74	55	41.39
20	ना	उदुपी	कुन्दापुरा	27.00	13	29	29.69	74	56	58.13
21	बेलान्जे	उदुपी	करकाल	1138.12	13	29	59.96	74	58	30.22
22	कुच्चुर	उदुपी	करकाल	355.54	13	29	2.96	75	0	0.67
23	अलवादी	उदुपी	कुन्दापुरा	407.81	13	31	9.63	74	57	53.83
24	मदामक्की	उदुपी	कुन्दापुरा	356.81	13	32	5.74	75	0	3.91
25	शेदीमाने	उदुपी	कुन्दापुरा	772.84	13	33	46.86	74	58	57.11
26	रतादी	उदुपी	कुन्दापुरा	11.44	13	35	14.47	74	58	18.78
27	समशे	उदुपी	कुन्दापुरा	161.10	13	35	36.98	74	58	36.50
28	अमसेबेल	उदुपी	कुन्दापुरा	743.98	13	36	52.41	74	59	28.00
29	मचट्टु	उदुपी	कुन्दापुरा	279.56	13	38	37.88	74	57	46.56
		कुल:		<b>10749.01</b>						

**ख. सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले**

**आरक्षित वनों की सूची**

मानचित्र आई डी	आरक्षित वनों के नाम	क्षेत्र हेक्टेयर में	जी. ओ/अधिसूचना
ए	ननिबेल राज्य वन	751.65	आर 5077-81एफ टी 78-17-4/05.12.1917
बी	वरही राज्य वन	1709.34	आर 5638-41 एफ टी 39-16-4/05.12.1916
सी	सुरिकोडलू आरक्षित वन	1025.66	जी. ओ. सं. 156 दिनांक 03.03.1899
डी	वेदुगुड्डा रिजर्व फॉरिस्ट	20.67	
	कुल:	<b>3507.32</b>	

**उपाबंध-V**

**की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र:**

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें) ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार(पारिस्थितिकी-संवेदी जोन वार)। विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न करें।

5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

### NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2019

**S.O. 3858(E).**—In supersession of Ministry's draft notification S.O. 140 (E), dated 13<sup>th</sup> January, 2016, the following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at [esz-mef@nic.in](mailto:esz-mef@nic.in)

#### Draft Notification

**WHEREAS**, Someshwara Wildlife Sanctuary (named after Lord Someshwara, the presiding deity of the famous Someshwara Temple located within the Sanctuary) is situated in the Karkala and Kundapur Talukas of District Udupi and Thirthahalli Taluka, District Shivamogga in the State Karnataka and lies between 13° 29' and 13° 36' N latitude and 74° 50' and 75° 05' E longitude notified in 1979 and is spread over an area of 314.25 square kilometers;

**AND WHEREAS**, the Wildlife Sanctuary is characterized by high rainfall ranging from 6000 mm to 8000 mm and is known as the 'Chirrapunji of South India';

**AND WHEREAS**, the Someshwara Wildlife Sanctuary supports evergreen and semi-evergreen forest species in the hill slopes and semi-evergreen and mixed moist deciduous forest at foot hills and plains and degraded forest around habitations;

**AND WHEREAS**, major flora available in the Someshwara Wildlife Sanctuary are *Calophyllum apetalum* (Holi honne), *Cinnamomum sulphuratum* (Dalchini), *Diospyros candollena* (Kari mara), *Hopea canarensis* (Malai haiga), *Hopea parviflora* (Kiral bogi), *Hopea ponga* (Doddele bogi), *Vanda spathulata* (Orchid), *Garcinia indica* (Kokum), *Hydnocarpus pentandra* (Chalmogra yenne mara, Mirolhakai, Surti), *Knema attenuate* (Raktamara), etc;

**AND WHEREAS**, the Someshwara Wildlife Sanctuary is rich in biodiversity, and as per the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), some of the species which fall under category of critically endangered, endangered, vulnerable, near threatened are found in Someshwara Wildlife Sanctuary includes mammals including *Panthera tigris* (tiger), *Panthera pardus* (common leopard), *Prionailurus rubiginosus* (rusty spotted cat), *Viverra civettina* (malabar civet), *Melursus ursinus* (sloth bear), *Elephas maximus* (Asian elephant), *Bos gaurus* (gaur), *Cervus unicolor* (sambar), *Petinomys uscopillus* (small travancore flying squirrel), *Ratufa indica* (Indian giant squirrel), *Manis Crassicaudata* (Indian pangolin), *Platacanthomys lasiurus* (Malabar spiny dormouse), *Lutra lutra* (common otter), *Anoxy Cinerea* (claw less Otter), etc.;

**AND WHEREAS**, major bird species recorded from the Sanctuary are *Anthracoceros coronaatus* (Malabar pied hornbill), *Buceros bicornis* (great hornbill), *Ichthyophaga ichthyaetus* (gray headed fish eagle), *Anhinga melanogaster* (darter), *Ciconia episcopus* (Woolly-necked Stork), *Ficedula nigrorufa* (Black and Orange Flycatcher), *Eumyias albicaudata* (Nilgiri fly catcher), etc. and reptiles such as *Indotestudo foresteni* (tortoise), *Geochelone elegans*

(Indian flap shell turtle), *Crocodylus palustris* (Crocodyles), *Naja Naja* (Spectacled cobra), *Ophiophagus Hannah* (King cobra), etc;

**AND WHEREAS**, Someshwara Wildlife Sanctuary is the habitat of numerous amphibians viz, *Ansonia ornate* (Malabar Torrent Tode), *Bufo beddomii* (Beddomi's Tode), *Ramanella montana* (Jerdon's Narrow-mouthed Frog), *Indirana leithii* (Leith's leaping frog or Matheran Indian frog), *Limnonectes limochalrs* ( Indian cricket frog), *Micrixalus saxicolus* (Malabar Tropical Frog), *Nyctibatrachus deccanensis* (Deccan night frog, Deccan wrinkled frog), *Nyctibatrachus major* (Malabar night frog), *Nyctibatrachus sancti palustris* (Coorg night frog or sacred swamp wrinkled frog), *Rana aurantiaca* (Trivandrum frog, the common wood frog), *Rana temporalis* (bronzed frog or Gunther's golden-backed frog), *Tomoptema rufescens* (Rufescent Burrowing frog), etc. while butterflies species available in the Sanctuary are *Idea malbarica* (Malabar tree Nymph), etc.;

**AND WHEREAS**, due to its high biodiversity value, occurrence of many critically endangered species, its valued ecosystem services to the people of the region and its aesthetic value (landscape), the Someshwara Wildlife Sanctuary has been included as part of one of the cluster of Western Ghats which was declared on 1<sup>st</sup> July, 2012 as a World Heritage Site;

**AND WHEREAS**, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Someshwara Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

**NOW, THEREFORE**, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0 (zero) to 7.80 kilometres around the boundary of Someshwara Wildlife Sanctuary, in Udupi and Shivamogga districts in the State of Karnataka as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.** – (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 0 (zero) to 7.80 kilometres around the boundary of Someshwara Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is 142.56 square kilometres (*Zero extent of Eco-sensitive Zone is due to Mookambika Wildlife Sanctuary and Kudremukh National Park adjoin the northern side and southern side of the Someshwara Wildlife Sanctuary*).
  - (2) The boundary description of Someshwara Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I**.
  - (3) The maps of the Someshwara Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-II**.
  - (4) List of geo-coordinates of the boundary of Someshwara Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table A and Table B of **Annexure III**.
  - (5) The list of villages and reserved forest along with their area falling in the proposed Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as Table A and Table B of **Annexure-IV**.
2. **Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.**- (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of State.
  - (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
  - (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
    - (i) Environment;
    - (ii) Forest and Wildlife;
    - (iii) Urban Development;

- (iv) Tourism;
  - (v) Municipal;
  - (vi) Revenue;
  - (vii) Agriculture;
  - (viii) Karnataka State Pollution Control Board;
  - (ix) Rural Development;
  - (x) Irrigation and Flood Control;
  - (xi) Panchayati Raj; and
  - (xii) Public Works Department.
- (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.
- (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.
- (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.
- 3. Measures to be taken by the State Government.-** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

- (1) **Land use.**— (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

- (b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.
- (2) **Natural water bodies.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.
- (3) **Tourism or Eco-tourism.**- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.
- (b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.
- (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
- (d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.
- (e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
- (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:
- Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;
- (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;
- (iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.
- (4) **Natural heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.** - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.
- (7) **Air pollution.**- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

- (8) **Discharge of effluents.**- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.
- (9) **Solid wastes.**- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
- (a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8<sup>th</sup> April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;
- (b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.
- (10) **Bio-Medical Waste.**- Bio Medical Waste Management shall be as under:-
- (a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28<sup>th</sup> March, 2016.
- (b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.
- (11) **Plastic waste management.**- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18<sup>th</sup> March, 2016, as amended from time to time.
- (12) **Construction and demolition waste management.**- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29<sup>th</sup> March, 2016, as amended from time to time.
- (13) **E-waste.**- The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.
- (14) **Vehicular traffic.**- The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (15) **Vehicular pollution.**- Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.
- (16) **Industrial units.**- (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.
- (ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
- (17) **Protection of hill slopes.**- The protection of hill slopes shall be as under:-
- (a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
- (b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.
4. **List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.**- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the

Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
<b>A. Prohibited Activities</b>		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 <sup>th</sup> August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21 <sup>st</sup> April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
7.	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided the existing wood-based industry may continue as per law. Provided further that renewal of licences of existing saw mills shall not be done on their expiry period.
8.	Erection of wind mills.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
9.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
10.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
<b>B. Regulated Activities</b>		
11.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
12.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities:

		Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
13.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents. Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
14.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
15.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
16.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
17.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated as per the applicable laws.
18.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
21.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
22.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
23.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
24.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
25.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Air and vehicular pollution.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Drastic Change of Agriculture systems.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter,	Regulated as per the applicable laws.



	drones, Microlites, etc.	
29.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
30.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
31.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
32.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
33.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
<b>C. Promoted Activities</b>		
34.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
35.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
36.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
37.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
38.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
39.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
40.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
41.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
42.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
43.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
44.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

- 5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.-** For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S N	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	Regional Commissioner, Mysore	Chairman, ex officio
(ii)	Representative of Department of Environment, Government of Karnataka	Member;
(iii)	Representative of Department of Urban Development, Government of Karnataka	Member;
(iv)	An expert in the area of ecology and environment – Member to be nominated by the Government of Karnataka for a period of one year	Member;
(v)	A representative of Non-governmental Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the Government of Karnataka for a period of one year	Member;
(vi)	Executive Engineer, Karnataka Pollution Control Board	Member;
(vii)	Deputy Commissioner or his representative Shivamogga	Member;
(viii)	Deputy Commissioner or his representative Udupi	Member;
(ix)	Hon'ble Member of Legislative Assembly , Thirthahalli Constituency	Member;*
(x)	Hon'ble Member of Legislative Assembly Karkala Constituency	Member;*
(xi)	Hon'ble Member of Legislative Assembly, Udupi Constituency	Member;*
(xii)	Hon'ble Member of Legislative Assembly, Kundapur Constituency	Member;*

(xiii)	Hon'ble Member of Legislative Assembly, Byndoor Constituency	Member;*
(xiv)	Deputy Conservator of Forests Kudremukh Wildlife Division	Member-Secretary.

\*(Subject to the State Government of Karnataka obtaining relevant approvals, *inter alia*, including permission from the Speaker of Legislative Assembly, Karnataka, if required)

**6. Terms of reference.** – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

- (2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31<sup>st</sup> March of every year by the 30<sup>th</sup> June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at **Annexure V**.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/143/2015-ESZ-RE]

DR. SATISH C. GARKOTI Scientist 'G'

**ANNEXURE- I**


**BOUNDARY DESCRIPTION OF SOMESHWARA WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECOSENSITIVE ZONE IN THE STATE KARNATAKA**

<b>East :</b>	The Eco-sensitive Zone boundary line of Someshwara Wildlife Sanctuary starts near the Kanchikala Abbi falls of Hummadagallu village, along Varahi State Forest. It moves East, then North, then turns southwards and then finally westwards along the Varahi State forest and Manibailu State Forest boundaries till it reaches a distance of 1km from Tombettu Reserved Forest boundary. From this point, Eco-sensitive Zone line follows the 1km parallel line to Tombettu Reserved Forest boundary in the village Gubbiga. It runs North passing through Malgoddamata and touches the Varahi State Forest at Melsunka. Then the line joins and follows the 1km parallel line to Agumbe State Forest. It runs North East through Ulthiga village turns South East through Neerathitlu village, Koraginakote village, Huruli village, Shivalli village, Dasanakoduge village and Hosur village. Then the Eco-sensitive Zone line touches the 1km parallel line to Agumbe State Forest near Agumbe hole and continues to run South, the line then turns East through Tallur village near the junction of Agumbe-Shringeri road at Agumbe. The line then follows the
---------------	---

	1km parallel line to Balehalli State Forest Eastward through Balehalli village and merges with the Eco-sensitive Zone boundary of Northern Kudremukh National Park.
<b>South :</b>	The Eco-sensitive Zone boundary line turns West along the Eco-sensitive Zone boundary of Kudremukh National Park and touches the Northern tip of Narasimha Parvatha State Forest. It runs South Westerly direction along the Narasimha Parvatha State Forest boundary, turns North West and continues till it reaches Durga. The line meets the Someshwara Reserved Forest boundary and continues North West. It cuts and crosses Kapoli stream near Kapoli, continues in North West direction to reach Bachappu of Mudradi village and merges with the Eastern Eco-sensitive Zone boundary of Kudremukh National Park.
<b>West :</b>	The Eco-sensitive Zone boundary line follows the 1km parallel line to Jatkatmalai Reserved Forest Northwards. It then turns West at Baibettu settlement, Hebri village and joins the 1 km parallel line to Mathkalgudde Reserved Forest. The line continues West, South-West and joins the 1km parallel line to Jomblu Kaadu Reserved Forest. The line turns North near Wonikallu and joins the 1km parallel line to Tenkahola Reserved Forest. The line then crosses the Seethanadi river and passes through Kaltur village, Nalkuru village and Belve village. The line turns Eastwards joins and follows 1km parallel line to Mavinakudlu Reserved Forest boundary near Ardi. The Eco-sensitive Zone boundary line turns North East, then North and joins 1Km parallel line to Ballimane Reserved Forest it continues the parallel line Northwards till it touches the boundary of Surikudlu Reserved Forest. It continues along the Surikudlu Reserved Forest boundary, crosses Varahi river at Kalinjeddu and moves Westward along Suraladavi Reserved Forest. The Eco-sensitive Zone line follows the boundary of Suraladavi Reserved Forest North and then East and Joins Surikudlu Reserved Forest boundary. The line continues till the point it joins the Eco-sensitive Zone boundary of Mookambika Wildlife Sanctuary.
<b>North :</b>	The Eco-sensitive Zone merges with the Northern boundary of Tombattu Reserved Forest and continues till it reaches the boundary of Varahi State Forest near Kanchikala Abbi falls and merges with the Eastern Eco-sensitive Zone boundary of Mookambika Wildlife Sanctuary.

ANNEXURE- II

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF SOMESHWARA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



## ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF SOMESHWARA WILDLIFE SANCTUARY

Map ID	Longitude			Latitude		
	Degree	Minutes	Seconds	Degree	Minutes	Seconds
0	74	57	36.12	13	39	31.81
1	74	58	33.67	13	41	0.16
2	75	1	20.82	13	41	40.00
3	75	0	41.80	13	41	17.78
5	75	0	49.24	13	40	30.30
6	75	1	43.86	13	40	8.59
7	75	1	0.93	13	39	43.48
8	75	0	58.27	13	37	58.54
9	75	3	7.62	13	36	29.30
10	75	3	41.37	13	36	1.09
11	75	3	46.74	13	37	32.97
12	75	4	22.94	13	36	34.80
13	75	5	27.33	13	36	9.30
14	75	6	33.70	13	35	38.38
15	75	6	13.82	13	34	35.77
16	75	5	40.44	13	31	52.94
17	75	5	24.61	13	31	25.74
18	75	4	58.62	13	30	9.06
19	75	6	40.94	13	30	19.15
20	75	8	29.21	13	30	12.36
21	75	9	17.86	13	29	59.84
22	75	8	14.49	13	28	16.82
23	75	8	42.19	13	27	13.49
24	75	8	59.47	13	26	9.46
25	75	8	26.45	13	24	20.54
26	75	7	58.71	13	23	23.95
27	75	7	43.53	13	21	54.89
28	75	5	58.46	13	21	21.83
29	75	4	7.39	13	23	14.49
30	75	4	45.79	13	24	32.59
31	75	3	30.97	13	25	41.78
32	75	1	44.28	13	26	19.68
33	75	1	0.29	13	28	13.94
34	74	59	56.28	13	27	36.28
35	74	59	54.28	13	28	41.65
36	75	0	9.47	13	29	5.02
37	74	59	35.80	13	29	21.10
38	74	58	55.32	13	30	26.58
39	74	59	21.75	13	31	19.66
40	75	0	25.34	13	32	13.91
41	74	59	46.56	13	33	6.64
42	74	58	38.17	13	33	48.04
43	74	58	44.44	13	35	25.67

44	74	59	17.42	13	36	16.24
45	74	59	19.24	13	36	38.90
46	74	58	11.17	13	38	12.60
47	74	57	39.73	13	38	34.11
48	74	56	42.60	13	30	20.88
49	74	57	0.40	13	30	29.46
50	74	57	52.51	13	30	9.36
51	74	57	30.59	13	29	8.78
52	74	57	35.08	13	28	27.82
53	74	56	51.71	13	27	50.93
54	74	55	44.58	13	28	15.01
55	74	55	3.07	13	29	9.50
56	74	57	56.82	13	29	4.14
57	74	58	24.03	13	28	49.30
58	74	59	2.55	13	28	42.59
59	74	59	32.67	13	28	59.34
60	74	59	34.72	13	28	36.42
61	74	59	18.73	13	28	22.34
62	74	58	34.87	13	28	35.80
63	74	58	5.70	13	28	34.05

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

Map ID	Longitude			Latitude		
	Degree	Minutes	Seconds	Degree	Minutes	Seconds
1	75	1	19.31	13	41	39.87
2	75	2	30.69	13	41	32.71
3	75	2	36.79	13	41	57.64
4	75	3	32.65	13	41	53.53
5	75	3	35.92	13	43	0.38
6	75	4	33.96	13	42	33.34
7	75	3	38.98	13	41	33.49
8	75	4	4.09	13	40	45.76
9	75	4	12.75	13	40	10.81
10	75	3	49.65	13	40	17.46
11	75	3	33.99	13	40	47.24
12	75	2	49.39	13	40	28.95
13	75	2	16.58	13	40	13.72
14	75	1	30.67	13	39	0.11
15	75	2	49.77	13	37	12.38
16	75	3	20.53	13	38	7.82
17	75	4	49.90	13	37	2.17
18	75	5	44.71	13	36	46.48
19	75	7	1.77	13	35	56.41
20	75	6	19.66	13	33	43.01
21	75	6	34.34	13	32	2.71
22	75	5	54.19	13	30	30.33
23	75	8	1.12	13	30	31.61
24	75	9	0.37	13	30	26.38
25	75	10	3.65	13	30	19.18

26	75	10	8.51	13	29	20.43
27	75	1	39.96	13	26	37.10
28	75	1	15.06	13	26	14.47
29	75	0	36.53	13	27	21.37
30	74	59	21.57	13	27	49.88
31	74	57	27.46	13	27	55.96
32	74	56	33.46	13	27	20.48
33	74	54	56.06	13	28	15.85
34	74	55	19.16	13	29	48.45
35	74	55	50.17	13	30	41.81
36	74	57	33.39	13	30	43.67
37	74	58	20.65	13	30	27.00
38	74	59	32.93	13	31	53.95
39	74	58	10.10	13	34	6.63
40	74	58	29.18	13	36	0.83
41	74	57	42.32	13	36	1.22
42	74	57	11.09	13	36	41.42
43	74	57	19.94	13	37	51.35
44	74	56	2.15	13	37	34.60
45	74	56	32.69	13	38	17.47
46	74	57	7.58	13	38	53.40
47	74	56	36.44	13	39	16.78
48	74	57	33.46	13	39	24.90

## ANNEXURE-IV

**A. LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF SOMESHWARA WILDLIFE  
SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES**

Sl. No.	Name of the village	District	Taluk	Area in Ha.	Latitude			Longitude		
					D	M	S	D	M	S
1	Hummadagallu	Shivamogga	Hosanagara	78.77	13	41	3.03	75	2	59.22
2	Gubbiga	Shivamogga	Hosanagara	100.60	13	39	34.71	75	2	0.15
3	Ulthiga	Shivamogga	Hosanagara	324.99	13	37	41.69	75	2	57.96
4	Koraginakote	Shivamogga	Hosanagara	256.69	13	37	8.01	75	4	25.08
5	Neerathotlu	Shivamogga	Hosanagara	41.71	13	37	47.61	75	4	11.78
6	Huruli	Shivamogga	Tirthahalli	200.11	13	36	39.09	75	5	47.08
7	Shuntihakkalu	Shivamogga	Tirthahalli	110.58	13	36	27.24	75	5	25.12
8	Shivalli	Shivamogga	Tirthahalli	148.75	13	35	59.34	75	6	37.95
9	Dasanakodige	Shivamogga	Tirthahalli	176.95	13	35	10.53	75	6	42.88
10	Hosur	Shimoga	Tirthahalli	435.82	13	33	53.21	75	6	14.02
11	Agumbe	Shimoga	Tirthahalli	757.48	13	31	24.41	75	5	56.71
12	Tallur	Shimoga	Tirthahalli	229.57	13	31	15.28	75	6	23.99
13	Balehalli	Shimoga	Tirthahalli	808.52	13	41	3.03	75	8	20.82
13A	Hasanbalu	Chikmagalur	Sringeri	83.62	13	29	45.99	75	10	2.96
14	Mudradi	Udupi	Karkal	18.26	13	26	28.52	75	1	22.16
15	Hebri	Udupi	Karkal	836.11	13	27	35.52	75	0	24.35

16	Chara	Udupi	Karkal	949.13	13	28	20.78	74	57	32.63
17	Kaltur	Udupi	Udupi	169.75	13	27	40.76	74	56	26.22
18	Nalkur	Udupi	Udupi	425.02	13	28	37.91	74	55	8.67
19	Belave	Udupi	Kundapura	342.37	13	30	2.30	74	55	41.39
20	Na	Udupi	Kundapura	27.00	13	29	29.69	74	56	58.13
21	Belanje	Udupi	Karkal	1138.12	13	29	59.96	74	58	30.22
22	Kuchchur	Udupi	Karkal	355.54	13	29	2.96	75	0	0.67
23	Albadi	Udupi	Kundapura	407.81	13	31	9.63	74	57	53.83
24	Madamakki	Udupi	Kundapura	356.81	13	32	5.74	75	0	3.91
25	Shedimane	Udupi	Kundapura	772.84	13	33	46.86	74	58	57.11
26	Rattadi	Udupi	Kundapura	11.44	13	35	14.47	74	58	18.78
27	Samshe	Udupi	Kundapura	161.10	13	35	36.98	74	58	36.50
28	Amasebail	Udupi	Kundapura	743.98	13	36	52.41	74	59	28.00
29	Machattu	Udupi	Kundapura	279.56	13	38	37.88	74	57	46.56
<b>Total:</b>				<b>10749.01</b>						

**B. LIST OF RESERVED FORESTS FALLING WITHIN THE ECO-SENSITIVE ZONE OF SOMESHWARA WILDLIFE SANCTUARY**

Map Id	Name of the Reserved Forests	Area in hectare	G.O / Notification
A	Nanibail State Forest	751.65	R 5077-81ft 78-17-4/05.12.1917
B	Varahi State Forest	1709.34	R 5638-41 Ft 39-16-4/05.12.1916
C	Surikodlu Reserved Forest	1025.66	G.O. No 156 dated 03.03.1899
D	Vettugudda Rf	20.67	
<b>Total:</b>		<b>3507.32</b>	

**ANNEXURE –V**

**Performa of Action Taken Report:**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.